"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिन डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 95] रायपुर, बुधवार, दिनांक 30 मार्च 2011—चैत्र 9, शक 1933

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

रायपुर, दिनांक 30 मार्च, 2011 (चैत्र 9, 1933)

क्रमांक-4786/वि. स./विधान/2011.—छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 64 के उपबंधों के पालन में छत्तीसगढ़ आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 11 सन् 2011) जो दिनांक 30 मार्च, 2011 को पुर:स्थापित हुआ है, को जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है.

हस्ता./-
(देवेन्द्र वर्मा)
सचिव.

छत्तीसगढ़ विधेयक
(क्रमांक 11 सन् 2011)

छत्तीसगढ़ आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2011

छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915) को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.

1. (1) यह अधिनियम का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ आबकारी (संशोधन) अधिनियम, 2011 कहलाएगा.

(2) इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य पर होगा.

(3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

धारा 34 का संशोधन.

2. (1) छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट है) की धारा 34 की उपधारा (1) के खण्ड (ज) के पश्चात् शब्द "एक मास", "एक वर्ष", "पांच हजार रुपये" तथा "पच्चीस हजार रुपये" के स्थान पर क्रमशः "छः मास", "दो वर्ष", "दस हजार रुपये" तथा [illegible]प हजार रुपये" प्रतिस्थापित किये जाएं.

(2) मूल अधिनियम की धारा 34 की उपधारा (1) के परन्तुक में, शब्द "छः मास", "दस हजार रुपये" तथा "एक लाख रुपये" के स्थान पर क्रमशः शब्द "एक वर्ष", "बीस हजार रुपये" तथा "दो लाख रुपये" प्रतिस्थापित किये जाएं.

(3) मूल अधिनियम की धारा 34 की उपधारा (2) में, शब्द "पच्चीस बल्क लीटर" के स्थान पर, शब्द "पांच बल्क लीटर" प्रतिस्थापित किया जाए.

(4) मूल अधिनियम की धारा 34 की उपधारा (3) में, शब्द "पच्चीस बल्क लीटर" के स्थान पर, शब्द "पांच बल्क लीटर" प्रतिस्थापित किया जाए.

धारा 35 का संशोधन.

3. (1) मूल अधिनियम की धारा 35 (ग) में, शब्द "एक मास", "एक हजार रुपये" तथा "चार हजार रुपये" के स्थान पर क्रमशः शब्द "दो मास", "पांच हजार रुपये" तथा "पच्चीस हजार रुपये" प्रतिस्थापित किये जाएं.

(2) मूल अधिनियम की धारा 35 (ग) के परन्तुक में, शब्द "छः मास", "एक हजार पांच सौ रुपये" तथा "छः हजार रुपये" के स्थान पर क्रमशः शब्द "एक वर्ष", "पांच हजार रुपये" तथा "पचास हजार रुपये" प्रतिस्थापित किये जाएं.

धारा 36 का संशोधन.

4. (1) मूल अधिनियम की धारा 36 में शब्द "छः मास तक की हो सकेगी" के स्थान पर, शब्द "तीन मास से कम की नहीं होगी किन्तु जो पांच वर्ष तक की हो सकेगी" और शब्द "एक हजार रुपये तक" के स्थान पर, शब्द "एक लाख रुपये से कम का नहीं होगा किन्तु जो पांच लाख रुपये तक" प्रतिस्थापित किये जाएं.

(2) मूल अधिनियम की धारा 36-क के खण्ड (ख) में, शब्द "वह कारावास से जिसकी अवधि एक वर्ष तक हो सकेगी या जुर्माने से जो दो सौ रुपये से कम का नहीं होगा किन्तु जो दो हजार रुपये तक हो सकेगा या दोनों से दण्डनीय होगा" के स्थान पर, शब्द "वह कारावास से जिसकी अवधि एक वर्ष तक हो सकेगी या जुर्माने से जो पांच हजार रुपये से कम का नहीं होगा किन्तु

जो पच्चीस हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से दण्डनीय होगा और पश्चात्वर्ती अपराध के लिए, वह कारावास से जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो दस हजार रुपये से कम का नहीं होगा किन्तु जो पचास हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से दण्डनीय होगा." प्रतिस्थापित किये जाएं.

(3) मूल अधिनियम की धारा 36 (च) के स्थान पर, निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जाये, अर्थात् :—

"36-च. (1) **सार्वजनिक स्थानों पर मद्यपान के लिए शास्ति :—**
जो कोई मद्यपान हेतु अनुज्ञप्त परिसर के अतिरिक्त, सार्वजनिक स्थानों जैसे शैक्षणिक संस्थानों, अस्पतालों, पूजा गृहों (पूजा स्थलों), बस स्टैण्ड, रेल्वे स्टेशन तथा आम रास्ता आदि में मदिरापान करते हुए या मत्त पाया जाता है तो उसे जुर्माने से, जो प्रथम अपराध के लिए एक हजार रुपये से कम का नहीं होगा किन्तु पांच हजार रुपये तक का हो सकेगा तथा अपराध के पुनरावृत्त किए जाने की दशा में, जुर्माने से जो पांच हजार रुपये से कम का नहीं होगा किन्तु जो दस हजार रुपये तक का हो सकेगा तथा तीन मास के कारावास से दण्डित किया जायेगा.

(2) **सार्वजनिक स्थानों पर मद्यपान कर उत्पात करने के लिए शास्ति :—**
जो कोई मद्यपान हेतु अनुज्ञप्त परिसर के अतिरिक्त, सार्वजनिक स्थानों जैसे शैक्षणिक संस्थानों, अस्पतालों, पूजा गृहों (पूजा स्थलों), बस स्टैण्ड, रेल्वे स्टेशन तथा आम रास्ता आदि में मदिरापान करने के पश्चात् उत्पात करते हुए पाया जाता है तो उसे जुर्माने से, जो दस हजार रुपये से कम का नहीं होगा किन्तु जो पच्चीस हजार रुपये तक का हो सकेगा तथा तीन मास के कारावास से दण्डित किया जायेगा."

5. मूल अधिनियम की धारा 47-क की उपधारा (1) एवं (2) में, शब्द "पच्चीस बल्क लीटर" के स्थान पर, शब्द "पांच बल्क लीटर" प्रतिस्थापित किया जाये. **धारा 47 का संशोधन.**

6. मूल अधिनियम की धारा 59-क की उपधारा (एक) एवं (दो) में, शब्द "पच्चीस बल्क लीटर" के स्थान पर, शब्द "पांच बल्क लीटर" प्रतिस्थापित किया जाये. **धारा 59 का संशोधन.**

उद्देश्यों और कारणों का कथन

छत्तीसगढ़ शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि अपराधियों के विरुद्ध छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 के अंतर्गत सजाओं को और अधिक कठोर करने हेतु इस अधिनियम में संशोधन किया जाय.

अतः यह विधेयक प्रस्तुत है.

रायपुर,

दिनांक 24 मार्च, 2011

अमर अग्रवाल,
वाणिज्यिक कर मंत्री,
(भारसाधक सदस्य)

उपाबंध

छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा 34 (1), 34 (2), 34 (3), 35, 36, 36 (ए), 36 (च), 47-क (1), 47-क (2), 59-क-(एक), 59-क-(दो) का सुसंगत उद्धरण—

* * * * * * * * * * * * * *

धारा 34. विधि विरुद्ध विनिर्माण, परिवहन कब्जा, विक्रय आदि के लिए शास्ति—

(1) जो कोई, इस अधिनियम के या उसके अधीन बनाए किसी नियम, जारी की गई किसी अधिसूचना या किये गये किसी आदेश के, या इस अधिनियम के, अधीन मंजूर की गई किसी अनुज्ञप्ति, अनुज्ञा-पत्र या पास की किसी शर्त के उल्लंघन में—

(क) किसी मादक द्रव्य का विनिर्माण, परिवहन, आयात, निर्यात, संग्रहण करेगा या उसे कब्जे में रखेगा, या

(ख) उन मामलों में के सिवाय जिनके लिये धारा 38 में उपबंध किया गया है, कोई मादक द्रव्य बेचेगा, या

(ग) भांग की खेती करेगा, या

(घ) ताड़ी उत्पन्न करने वाले किसी वृक्ष से ताड़ी का व्यावन करेगा या उससे ताड़ी निकालेगा, या

(ङ) किसी आसवनी, मद्यनिर्माण शाला या शराब की दुकान का सन्निर्माण करेगा या उसे चलाएगा, या

(च) ताड़ी से भिन्न किसी मादक द्रव्य का विनिर्माण करने के प्रयोजन के लिये किसी सामग्री, भभका, पात्र, उपकरण या साधित्र को उपयोग में लाएगा, रखेगा या अपने कब्जे में रखेगा, या

(छ) इस अधिनियम से अधीन अनुज्ञप्त की गई, स्थापित की गई या चलाई जा रही किसी आसवनी, मद्यनिर्माण शाला, शराब की दुकान या भाण्डागार से किसी मादक द्रव्य को हटाएगा, या

(ज) किसी मदिरा को बोतलों में भरेगा,

वह उपधारा (2) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए प्रत्येक ऐसे अपराध के लिए कारावास से, जिसकी अवधि एक मास से कम नहीं होगी, किन्तु जो एक वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से, जो पांच हजार रुपये से कम का नहीं होगा किन्तु जो पच्चीस हजार रुपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा.

परन्तु जब कोई व्यक्ति इस धारा के अधीन किसी अपराध के लिए दूसरी बार या पश्चात्वर्ती समय पर सिद्धदोष ठहराया जाए तो वह प्रत्येक ऐसें अपराध के लिए कारावास से, जिसकी अवधि [छः मास] से कम की नहीं होगी किन्तु जो [पांच वर्ष] तक की हो सकेगी तथा जुर्माने से, जो [दस हजार रुपये] से कम का नहीं होगा किन्तु जो [एक लाख रुपये] तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा.

(2) उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी यदि कोई व्यक्ति उपधारा (1) के खंड (क) या खंड (ख) के अंतर्गत आने वाले किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया जाए तथा अपराध का पता लगाते समय या उसके दौरान पाए गए मादक द्रव्य मदिरा की मात्रा [पच्चीस बल्क लीटर] से अधिक हो, तो वह कारावास से जिसकी अवधि एक वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु जो तीन वर्ष तक की हो सकेगी तथा जुर्माने से जो पच्चीस हजार रुपये से कम का नहीं होगा किन्तु जो एक लाख रुपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा.

परन्तु जब कोई व्यक्ति इस धारा के अधीन किसी अपराध के लिए दूसरी बार या पश्चात्वर्ती समय पर सिद्धदोष ठहराया जाए तो वह प्रत्येक ऐसे अपराध के लिये कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु जो पांच वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से, जो पचास हजार रुपये से कम का नहीं होगा किन्तु जो दो लाख रुपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा.

(3) जब उपधारा (1) के खंड (क) या खंड (ख) के अधीन कोई अपराध किया जाए और जहां ऐसे अपराध का पता लगाते समय या उसके दौरान पाई गई मदिरा की मात्रा [पच्चीस बल्क लीटर] से अधिक हो, तो वे समस्त मादक द्रव्य, वस्तुएं,

उपकरण, पात्र, सामग्री, प्रवहन आदि जिसके संबंध में या जिनके द्वारा अपराध किया गया हो अभिग्रहीत किये जाने और अधिहरण किये जाने के दायित्वाधीन होंगे. यदि ऐसा कोई अपराध, किसी ऐसे व्यक्ति की ओर से या उसके द्वारा किया जाए जो इस अधिनियम के अधीन विक्रय के लिए उस मदिरा का विनिर्माण करने या संग्रहण करने या उसका भंडारण करने के लिए अनुज्ञप्ति धारण करता है, जिस पर विहित दर पर शुल्क का संदाय नहीं किया गया है, तो धारा 31 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी यथापूर्वोक्त अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराए जाने की दशा में उसे मंजूर की गई अनुज्ञप्ति रद्द कर दी जाएगी.

(4) मादक द्रव्यों, वस्तुओं, उपकरणों, पात्रों, सामग्रियों तथा प्रवहणों का अधिग्रहण या अधिहरण और ऊपर उपधारा (2) में यथा उपबंधित अनुज्ञप्ति का रद्दकरण ऐसी किसी अन्य कार्यवाही के अतिरिक्त तथा उस पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा जो इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के किन्हीं उपबंधों के अधीन की जा सके.

* * * * * * * * * * * * * *

धारा 35 किसी [विकृत स्पिरिट या विकृत स्पिरिटयुक्त निर्मित] को परिवर्तित करने का प्रयत्न करने के लिए शास्ति :—जो कोई ...

[(क) [किसी विकृत स्पिरिट या विकृत स्पिरिटयुक्त निर्मित] को इस आशय से परिवर्तित करेगा या परिवर्तित करने का प्रयत्न करेगा किसी ऐसी स्पिरिट का उपयोग, चाहे पेय के रूप में या आन्तरिक रूप से औषधि के रूप में, या किसी भी पद्धति द्वारा किसी भी अन्य प्रकार से, मानवीय उपभोग के लिये किया जाए, या

(ख) अपने कब्जे में कोई ऐसी स्पिरिट रखेगा जिसके बारे में वह यह जानता है या उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि कोई भी ऐसा परिवर्तन या प्रयत्न खंड (ए) में विनिर्दिष्ट किये गये आशय से किया गया है]

[(ग) विकृत स्पिरिट को या ऐसी परिवर्तित विकृत स्पिरिट को या विकृत स्पिरिटयुक्त निर्मित को पेय स्पिरिट के साथ मिश्रित करेगा, वह कारावास से जिसकी अवधि एक मास से कम की नहीं होगी किन्तु जो दो वर्ष तक की हो सकेगी, तथा साथ ही जुर्माने से जो एक हजार रुपये से कम का नहीं होगा किन्तु जो चार हजार रुपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा.

परन्तु जब किसी व्यक्ति को इस धारा के अधीन द्वितीय अपराध या किसी पश्चात्वर्ती अपराध के लिये दोषसिद्ध ठहराया जाता है तो वह ऐसे अपराध के लिये कारावास से, जिसकी अवधि छः मास से कम की नहीं होगी किन्तु जो छः वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से, जो एक हजार पांच सौ रुपये से कम का नहीं होगा किन्तु जो छः हजार रुपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा.

स्पष्टीकरण— इस धारा में "विकृत स्पिरिटयुक्त निर्मित" से अभिप्रेत है कोई ऐसी निर्मित जो विकृत स्पिरिट से बनाई गई हो और उसके अन्तर्गत ऐसी स्पिरिटयुक्त निर्मित से बनी मदिरा, फ्रेन्च पालिश, वार्निश और तरल द्रावक आती है.

* * * * * * * * * * * * * *

धारा 36 अवैध कब्जे के लिये शास्ति :— जो कोई यह जानते हुए कि किसी मादक द्रव्य का विधि विरुद्ध तथा आयात, परिवहन, विनिर्माण, खेती या संग्रह किया गया है, या यह जानते हुए कि उस पर विहित शुल्क का संदाय नहीं किया गया है, विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना, किसी भी मादक द्रव्य को किसी भी मात्रा में अपने कब्जे में रखेगा वह कारावास से जिसकी अवधि छः मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो एक हजार रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से दण्डनीय होगा.

धारा 36 (क) किसी स्थान को सामान्य मदिरापान-गृह के रूप में खोलने, रखने या उपयोग में लाने के लिए या किसी भी ऐसे स्थान की देखरेख, उसका प्रबंध या नियंत्रण रखने के लिये या ऐसे किसी स्थान के कारबार का संचालन करने में सहायता करने के लिए शास्ति :— जो कोई इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम, जारी की गई किसी अधिसूचना या दिए गए किसी आदेश के या इस अधिनियम के अधीन मंजूर की गई किसी अनुज्ञप्ति, अनुज्ञा-पत्र या पास के उल्लंघन में—

(क) किसी स्थान को सामान्य मदिरापान-गृह के रूप में खोलेगा, रखेगा या उपयोग में लाएगा, या

(ख) सामान्य मदिरापान-गृह के रूप में खोले गए, में रखे गए या उपयोग में लाए गए किसी स्थान की देखरेख, उसका प्रबंध या नियंत्रण रखेगा या ऐसे स्थान के कारबार का संचालन करने में किसी भी रीति में सहायता करेगा,

वह कारावास से जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो दो सौ रुपये से कम का नहीं होगा किन्तु जो दो हजार रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से दण्डनीय होगा.

* * * * * * * * * * * * *

36-च सार्वजनिक स्थानों पर मद्यपान के लिये शास्ति :— जो कोई मद्यपान हेतु अनुज्ञप्त परिसर के अतिरिक्त, सार्वजनिक स्थानों यथा- शैक्षणिक संस्थानों, अस्पतालों, पूजा गृहों/पूजा स्थलों, बस स्टैण्ड, रेल्वे स्टेशन तथा आम रास्ता आदि में मदिरापान करते हुए या मदिरापान कर उत्पात करते हुए या मत्त पाया जाएगा वह जुर्माने से, जो प्रथम अपराध के लिये दो सौ रुपये से कम का नहीं होगा किन्तु जो पांच सौ रुपये तक का हो सकेगा तथा पुनरावृत्त अपराध की दशा में जुर्माने से जो पांच सौ रुपये से कम का नहीं होगा किन्तु जो एक हजार रुपये तक का हो सकेगा, दण्डित होगा."

* * * * * * * * * * * * * *

धारा 47-क अभिग्रहित किए गए मादक द्रव्यों, वस्तुओं, उपकरणों, पात्रों, सामग्रियों, प्रवहणों आदि का अधिहरण :—

(1) जब कभी धारा 34 की उपधारा (1) के खण्ड (क) या (ख) के अन्तर्गत आने वाला कोई अपराध किया जाए और अपराध का पता लगाते समय या उसके दौरान पाई गई मदिरा की मात्रा [पच्चीस बल्क लीटर] से अधिक हो तो धारा 52 के अधीन सशक्त प्रत्येक अधिकारी, अधिनियम की धारा 34 की उपधारा (2) या धारा 52 के अधीन किन्हीं मादक द्रव्यों, वस्तुओं, उपकरणों, पात्रों, सामग्रियों, प्रवहणों आदि का अभिग्रहण करते समय अभिगृहित की गई सम्पत्ति पर एक चिन्ह या उपदर्शित करते हुए कि वह इस प्रकार अभिगृहित की गई है और बिना असम्यक् विलंब के अभिगृहित की गई संपत्ति को या तो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत उस अधिकारी (जो इसमें इसके पश्चात् प्राधिकृत अधिकारी के नाम से निर्दिष्ट है) के समक्ष पेश करेगा जो जिला आबकारी अधिकारी के पद से निम्न पद का न हो या जहां इसकी मात्रा या बल्क या कोई अन्य वास्तविक कठिनाई को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार किया जाना समीचीन नहीं है, वहां अभिग्रहण के बारे में समस्त ब्यौरे अन्तर्विष्ट करते हुए उसे एक विस्तृत रिपोर्ट देगा.

(2) जब कलेक्टर का यथास्थिति, मादक द्रव्यों, वस्तुओं, उपकरणों, पात्रों, सामग्रियों, प्रवहणों आदि को उसके समक्ष प्रस्तुत किए जाने पर या ऐसे अभिग्रहण के बारे में रिपोर्ट प्राप्त होने पर, यह समाधान हो जाए कि धारा 34 की उपधारा (1) के खण्ड (क) या खण्ड (ख) के अन्तर्गत कोई अपराध किया गया है, और जहां ऐसे अपराध का पता लगाते समय या उसके दौरान पाई गई मदिरा की मात्रा [पच्चीस बल्क लीटर] से अधिक है तो वह लिखित रूप से अभिलिखित किए जाने वाले आधारों पर इस प्रकार अभिगृहित किए गए मादक द्रव्यों, वस्तुओं, उपकरणों, पात्रों, सामग्रियों, प्रवहणों आदि का अधिहरण करने का आदेश कर सकेगा. वह कार्यवाहियों के लंबित रहने के दौरान अधिहरण किए गए मादक द्रव्यों, वस्तुओं, उपकरणों, पात्रों, सामग्रियों, प्रवहणों आदि की अभिरक्षा, व्ययन आदि के लिए अंतरिम प्रकृति का कोई ऐसा आदेश, जैसा कि उस मामले की परिस्थितियों में उसे आवश्यक प्रतीत हो, भी पारित कर सकेगा.

(3) उपधारा (2) के अधीन तब तक आदेश नहीं किया जाएगा जब तक कि कलेक्टर ने :—

(क) अभिगृहित किए गए मादक द्रव्यों, वस्तुओं, उपकरणों, पात्रों, सामग्रियों, प्रवहणों आदि के अधिहरण के लिए कार्यवाहियों को प्रारंभ करने के बारे में, आबकारी आयुक्त द्वारा विहित किए गए प्ररूप में कोई प्रज्ञापना, उस अपराध जिसके मद्दे अभिग्रहण किया गया है, पर विचारण की अधिकारिता रखने वाले न्यायालय को न भेज दी हो,

(ख) उस व्यक्ति को, जिससे ऐसे मादक द्रव्यों, वस्तुओं, उपकरणों, पात्रों, सामग्रियों, प्रवहणों आदि को अभिगृहित किया गया है और इन्हें रखने का दावा करने वाले किसी व्यथित को और ऐसे अधिकारी के समक्ष उपसंजात हो सकने वाले किसी अन्य व्यक्ति को जिसका उसमें हित है, लिखित सूचना जारी न कर दी हो,

(ग) ऊपर खण्ड (ख) में निर्दिष्ट व्यक्तियों को, प्रस्तावित अधिहरण के विरुद्ध अभ्यावेदन करने का अवसर प्रदान न किया हो,

(घ) उपधारा (1) के अधीन अभिग्रहण करने वाले अधिकारी की तथा उस व्यक्ति या व्यक्तियों, जिन्हें खण्ड (ख) के अधीन सूचना दी गई है, की सुनवाई न कर ली हो.

* * * * * * * * * * * * * *

59-क अधिनियम के अधीन कतिपय अपराध अजमानतीय होंगे— दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का सं. 2) या इस अधिनियम की धारा 59 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी :—

(एक) धारा 49-क के अधीन दण्डनीय किसी अपराध में अभियुक्त किसी व्यक्ति के संबंध में या ऐसे व्यक्ति के संबंध में जो ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन अनुज्ञप्ति धारण कर रहा है और जो धारा

34 की उपधारा (1) के खण्ड (क) या खण्ड (ख) के अन्तर्गत आने वाले किसी अपराध में अभियुक्त है, के संबंध में जहां ऐसे अपराध का पता लगाते समय या उसके दौरान पाई गई मदिरा की मात्रा [पच्चीस बल्क लीटर] से अधिक है, किसी भी न्यायालय द्वारा अग्रिम जमानत का कोई भी आवेदन ग्रहण नहीं किया जाएगा.

(दो) धारा 49-क के अधीन दण्डनीय किसी अपराध में अभियुक्त किसी व्यक्ति को या ऐसे व्यक्ति को, जो ऐसा व्यक्ति नहीं है, जो इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन अनुज्ञप्ति धारण कर रहा है और जो धारा 34 की उपधारा (1) के खण्ड (क) या खण्ड (ख) के अन्तर्गत आने वाले किसी अपराध में अभियुक्त है को, जहां ऐसे अपराध का पता लगाते समय या उसके दौरान पाई गई मदिरा की मात्रा [पच्चीस बल्क लीटर] से अधिक हो, जमानत पर या स्वयं उसके बंधपत्र पर, तब तक निर्मुक्त नहीं किया जाएगा. जब तक कि लोक अभियोजक को ऐसी निर्मुक्ति के आवेदन का विरोध करने का अवसर न दे दिया गया हो और उस मामले में ऐसे आवेदन का लोक अभियोजक द्वारा विरोध किया जाए तथा जब तक कि न्यायालय का यह समाधान नहीं हो जाए कि यह विश्वास करने के युक्तियुक्त आधार है कि अभियुक्त ऐसे अपराध का दोषी नहीं है और यह कि जब वह जमानत पर हो तब यह संभावना नहीं है कि वह कोई अपराध करेगा.

परन्तु कोई भी न्यायालय ऐसे व्यक्ति को, जहां वह धारा 34 की उपधारा (1) के खण्ड (क) या खण्ड (ख) के अन्तर्गत आने वाले किसी ऐसे अपराध से संबंधित है जिसमें उस अपराध का पता लगाते समय या उसके दौरान पाई गई मदिरा की मात्रा [पच्चीस बल्क लीटर] से अधिक है, 60 दिन से अधिक की कुल कालावधि के लिए तथा जहां वह धारा 49-क के अधीन किसी अपराध से संबंधित है, वहां 120 दिन से अधिक की कुल कालावधि के लिए अभिरक्षा में निरुद्ध रखने के लिए कोई आदेश पारित नहीं करेगा तथा यथास्थिति, 60 दिन या 120 दिन की ऐसी कालावधि का अवसान हो जाने पर और रिपोर्ट या शिकायत न किये जाने की दशा में अभियुक्त को जमानत प्रस्तुत करने पर निर्मुक्त कर दिया जाएगा.

(तीन) जमानत मंजूर करने के लिए खण्ड (दो) में विनिर्दिष्ट परिसीमा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का सं. 2) या जमानत मंजूर करने से संबंधित तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन विहित परिसीमाओं के अतिरिक्त है.

* * * * * * * * * * * * * *

देवेन्द्र वर्मा
सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित– 2011